मु.नं.—28 / 2020 GCMS ID-2020/00056 ता.रजु—04.08.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रमेश चंद गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामजीलाल गुप्ता, आयु 68 वर्ष, जाति महाजन निवासी 85 / 360, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नादौती, जिला करौली — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक—07.09.2020

1. प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने एवं अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 19.08.2020, 26.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020 को उपस्थित होने हेतु अवसर दिये जाने के कारण अपील के निस्तारण में विलम्ब हुआ है।
2. उभयपक्षकारान उपस्थित नहीं।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा में विचाराधीन पत्रावली संख्या 66 / 17 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा में अंतरित किये जाने पर प्राप्तकर्ता व्यक्ति / कार्मिक का नाम, पद, प्राप्ति दिनांक, प्राप्ति डाक रजिस्टर में दर्ज दिनांक, प्राप्ति डाक रजिस्टर की नकल आदि कुल 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक—आरटीआई / 2020 / 3619 दिनांक 17.08.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, पत्रांक—सूचना / 2020 / 3569 दिनांक 04.08.2020 से अपीलार्थी को भिजवा दी गई है एवं पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 17.08.2020 को अपीलार्थी को भिजवा दी गई है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अंत में अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है एवं सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब पर अपीलार्थी द्वारा प्रतिकार प्रेषित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को स्पष्ट सूचना प्रेषित की गई है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रतिकार खारिज किया जाता है। वक्त सुनवाई भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है एवं सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:06:40 IST
Reason: SelfAttested